# महामहिम राष्ट्रपतिजी,

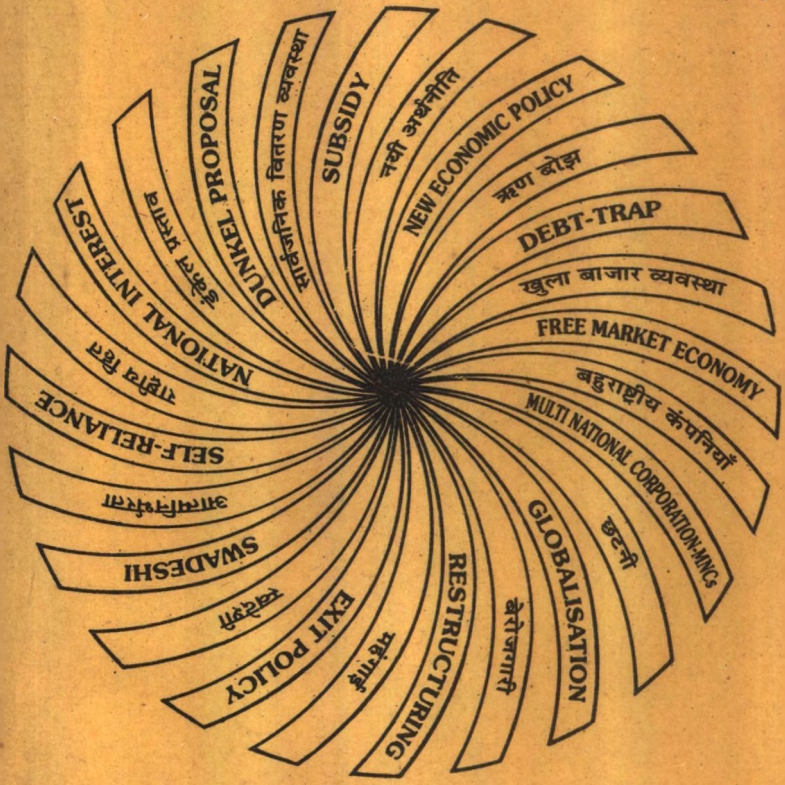


## राष्ट्र की सेवा में

## भारतीय मज़दूर संघ से संबद्ध

## भारत के मज़दूर

# भारतीय मजदूर संघ

की ओर से

## महामहिम राष्ट्रपति,
## माननीय श्री शंकरदयाल शर्मा

को

20 अप्रैल 1993 को
प्रस्तुत ज्ञापन

माननीय श्री शंकरदयाल जी शर्मा,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

महामना राष्ट्रपति जी, सादर प्रणाम,

सरकार की नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के प्रति अपने भय एवं पीड़ा को प्रगट करने हेतु, राष्ट्रीय श्रम-संगठन भारतीय मजदूर संघ (भा० म० सं०) के आह्वान पर, भारत के कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले, लगभग एक लाख श्रमिक आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं।

ये श्रमिक अनुभव करते हैं कि भारत सरकार सामान्य जनता के दु:ख एवं दर्द, समस्याओं एवं संकटों के प्रति जानबूझकर दुर्लक्ष कर रही है। अत: आपके पद की गरिमा के प्रति आश्वस्त ये श्रमिक, इस सिलसिले में आपके हस्तक्षेप की अपेक्षा करते हैं एवं आपके माध्यम से ही सरकार तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का निवेदन करते हैं।

हमें विश्वास है कि श्रमिकों की इस पुकार एवं अपेक्षा को आप, कठिन श्रम के बोझ से दबे मजदूरों एवं गरीबी के मारे गरीबों की अपनी आर्थिक दुरवस्था को दूर करने की यह मात्र साधारण मांग है, ऐसा विचार नहीं करेंगे। मात्र इस छोटे से स्वार्थ की पूर्ति हेतु वे यहां इतनी बड़ी मात्रा में एकत्रित नहीं हुए हैं। उनका तो यह महान उद्देश्य है कि अपना देश भारत एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्वपटल पर उभरे, जिसके नागरिक, सुखी, सम्पन्न तथा चारित्र्यवान बन कर, नैतिकता के उच्च आदर्श का पालन करते हुए, शांति के साथ जीवन-यापन करते रहें।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, संकल्प मांग पत्र को, इस महान भूमि के सार्वभौम पुत्रों का जनादेश मानकर, इसे आपकी उचित सलाह के साथ, सरकार के पास भेजा जाय।

श्रद्धावनत्!

हम हैं
(भा० म० स० से जुड़े)
भारत के राष्ट्रभक्त श्रमिक
(रमणभाई शाह)
अध्यक्ष भा०म०सं

नई दिल्ली
20, अप्रैल 1993

# आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बदल आवश्यक : पर सरकारी सोच के अनुसार नहीं।

भारत सरकार ने, देश के आर्थिक विकास हेतु अपनाया गया पूर्व का मार्ग छोड़ दिया है और एक नई आर्थिक नीति को अपनाया है। इस सिलसिले की सोच एवं इसके अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में इस बात का गहराई से विचार किए बिना ही - कि यह मार्ग अच्छा है या बुरा है, फायदेमंद है या नुकसानदेह है, स्वतंत्रता एवं स्वराज्य-प्राप्ति के बाद जब से अपना शासन प्रस्थापित हुआ- तब से हमारा स्वस्थ आर्थिक जीवन विकसित हुआ या नहीं यह सहजता से कहा जा सकता है कि चार दशकों के पश्चात भी अब इसकी समीक्षा किए जाना तथा एक नई नीति का निर्धारण किया जाना, अति आवश्यक हो गया है। यह इस लिए भी आवश्यक है कि इस बीच विश्व में, जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। दूसरा भी एक कारण है। राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के नीति-निर्धारण का जो एक नमूना हमने पूर्वी यूरोप के देशों के नमूने के आधार पर अपनाया था, वह संपूर्ण ढांचा ही 1980 के दशक में एकाएक लड़खड़ा कर गिरा गया, और इससे भी हमारी आर्थिक नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। सरकारी नीति को कोसनें वाले शासन में भी थे और हैं। वे अर्थनीति के एक ऐसे नमूने के पक्षधर हैं कि जो आत्मनिर्भर हो, भारत के ज्ञान-विज्ञान के तंत्र पर आधारित हो, भारत के सिद्धांतों एवं आदर्शों के अनुकूल हो, एवं राष्ट्रमंडल में भारत को प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त करा देने के प्रयास के समय भी अपनें राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने वाला न हो।

इस सिलसिले में इस सब की बारीकी से समीक्षा करने की या उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मांग पत्र के संदर्भ में भूतकाल की नीति का साधारण सिहांवलोकन करते हुए वर्तमान नीति एवं प्रक्रिया के

स्वरूप में आवश्यक बदल करने की सोच आवश्यक है, भले ही वर्तमान ढांचे का परित्याग ही क्यों न करना पड़े।

महत्व का पहलू यह है कि नई अर्थनीति को हम ठीक से पढ़ें, संदर्भों के साथ जोड़कर उसके हर एक शब्द का साधारण अर्थ एवं दूरगामी परिणाम करने वाला अर्थ दें, क्योंकि भारत सरकार ने नई अर्थनीति देश पर थोपी है। इसके लिए न सर्वसाधारण जनता के बीच और न ही संसद में कोई चर्चा हुई। और तो और, नई अर्थनीति की घोषणा किए दो साल बीत जाने पर भी अब तक विभिन्न मंत्रालयों में इस पर मतभेद एवं मतिभेद ही दिखाई देता है। यह नई अर्थनीति विदेशी शक्तियों के दबाव में आकर स्वीकार की गई है। इस अर्थनीति का परिणाम, देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर होता है। इसी से इस नीति का पुनर्मुल्यांकन इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यंभावी है कि - यह नीति हमारे लिये तारक है या मारक, इसके गर्भ में उज्वल भविष्य छिपा है या देश को दीवालिया बनाने का अंधकारमय भविष्य, यह देश की जनता को स्वतंत्रता बहाल करती है या गुलामी की जंजीर से जकड़ती है।

हमारा मांग पत्र मुख्यत: इन्हीं सब बातों की ओर इशारा करता है।

राज्य-शासन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप के कथित समाजवादी ढांचे को त्याग कर अब हमारी सरकार ने 'मुक्त बाजार-व्यवस्था' को अपनाया है, जो मानों पूंजीवाद का ही दूसरा नाम है। इसके अंतर्गत अनियंत्रण, स्पर्धा, विश्व के अन्य देशों के तौर-तरीके अपनाना, शासन के हस्तक्षेप की नीति का परित्याग - आदि सब बातें आती हैं।

हां विश्व में सर्वत्र ऐसी ही हवा बह रही है।

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित अपेक्षाएं - संभावनाएं निहित हैं।

- अर्थनीति में मात्र दो ही ढांचे हो सकते हैं- एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी।
- मानवी प्रयत्नों से भी तीसरा ढांचा या अन्य प्रकार के ढांचे का

निर्माण असंभव ही है।

- मुक्त बाजार की व्यवस्था सभी देशों द्वारा स्वीकार की जा सकती है, उनमें प्राकृतिक, राजनैतिक, नैतिक - सैद्धांतिक मतभेद होने पर भी।
- विश्व के सभी देशों को उनके विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं - पड़ावों में यह नीति हितावह होगी।

इसके इस अर्थ का महत्व है - कि

- सभी देशों को यह नीति आसानी से स्वीकार्य होगी क्योंकि इसके दोनों ढांचों - (पूंजीवादी और समाजवादी) का आधार मात्र भौतिक है, जहां मानवी जीवन-मूल्यों का कोई विचार ही नहीं है। इसमें जीवन के आध्यात्मिक पक्ष एवं आवश्यकताओं के विचार की जगह मात्र स्वार्थ, लालच, एवं लाभ का विचार प्रमुख है।
- साधु संतों एवं महापुरूषों द्वारा प्रतिपादित एवं आचरित आदर्शों (कि जो मानों महात्मा गांधी के रूप में मूर्तशरीर धारण कर प्रगट हुए) के आध्यात्मिकता, अहिंसा, सेवाभाव सादगी, एवं उच्च विचार आदि गुणों के लिए सर्वमान्य भारत को अपने इन आदर्शों को, इस अर्थनीति के तहत तिलांजली देनी होगी।

विश्व के विद्वान अर्थशास्त्रियों ने मुक्त बाजार की नीति का खोजपूर्ण अध्ययन कर, यह निष्कर्ष निकाला है कि "मुक्त बाजार" ही एक मात्र मार्ग नहीं हैं। (एक रिपोर्ट)

राष्ट्रकुल की शिक्षा एवं विकास की समिति (यू० एन० सी० टी० ए० डी०) द्वारा प्रकाशित कतिपय शोध-पत्रों के अनुसार, मॅसॅच्युएटस इंस्टिट्यूट ऑफ टैकनॉलॉजी के प्रोफेसर लान्स टेलर सहित, अर्थशास्त्र के चोटी के विद्वानों का यह मत है - कि विभिन्न देशों के विकास के इतिहास का यह अनुभव पूर्ण निचोड़ है कि उदारनीति एवं निजीकरण, विकास के लिये स्वाभाविक या सहज

रूप से अनुकूल नहीं हैं। अर्थात् विद्वानों ने उक्त प्रकार की अर्थनीति को अन-अनुकूल नीति कह कर, पूर्णतः ठुकराया नहीं है। वे यही कहना चाहते हैं कि अनुकूल समय एवं अनुकूल पद्धति का अनुसरण जिससे यह नीति देश के लिए लाभदायक सिद्ध हो - यह सोच कर ही यह नीति लागू की जाय।

लगभग इसी प्रकार का विचार श्रमिक वर्ग ने भी प्रगट किया है। रूस के भूतपूर्व श्रम संघ-केन्द्र ए०यू०सी०टी०यू० में, गोर्बाचेब की पेरिस्ट्रोइका एवं ग्लासनॉस्त नीतियों का जब बोलबाला था, उस समय 1990 के अंत में, एक साक्षात्कार (इंटरव्यू) में अपना विचार इस तरह प्रगट किया था- कि -

> तीसरी दुनिया को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमे से, उन देशों के आत्म - निर्भरतापूर्ण विकास का एक सही चित्र सामने आ सकता है, जिसमें उस देश की विशिष्ट प्रकार की विकास-गति एवं पद्धति, तथा उस देश के राष्ट्रीय, जनजाति, इतिहासात्मक, जातिगत एवं अन्य विशेषताओं का चित्र भी स्पष्ट होगा। तीसरी दुनिया के देशों को हमें एक संभावित एवं उपयोगी ऐसी अर्थनीति का स्पष्ट मार्ग बताना होगा कि, जो विशुद्ध रूप से मुक्त बाजार व्यवस्था की ओर उन्हें न ले जाय अन्यथा मुक्त बाज़ार - व्यवस्था के आधार पर उन्मुक्त विकास की ओर बढ़ने वाले लॅटिनअमरीकी देशों पर जिस तरह अनगिनत विदेशी कर्ज का बोझ पड़ा है एवं उनमें निरंतर तथा अविरत राजनैतिक एवं सामाजिक उथलपुथल हो रही है, वैसी ही गति तीसरी दुनिया के देशों की हो जायेगी।

भा० म० सं० का मत है कि दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा स्वीकृत विभिन्न ढांचों एवं उसके अतिरिक्त भी अन्य ढांचों की सृष्टि हो सकती है। जैसे कि अपने तंत्र एवं आवश्यकतानुसार नॉर्डिक देशों द्वारा अपनाया गया "सहकारिता" का नमूना एवं स्कॅंडिनेवियाई देशों द्वारा अपनाया गया" कल्याणकारी नमूना"।

भामसं० का यह विश्वास है कि मात्र पश्चिम का ढांचा ही विकास

एवं उन्नति का एकमात्र नमूना नहीं है, अतः दुनिया में प्रचलित विकास के विभिन्न ढांचों-नमूनों का हमें अध्ययन और अनुभव करते हुए, अपने देश की संस्कृति एवं परंपरा-सभ्यता के लिए अनुकूल किसी ढांचे का निर्माण करना होगा।

मूल प्रश्न यह है कि अपने देश की प्रकृतिक एवं भौगोलिक प्रकृति के, वर्तमान काल के, तथा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, जीवन-मूल्य, सामाजिक पद्धति, जीवन-पद्धति, आर्थिक विकास की अपनी विशेष पद्धति एवं लोक - संख्या आदि के आधार पर हमें एक उपयुक्त विकास का नमूना तैयार करना होगा। हमारी मूल धारणा ऐसी एक पद्धति को अपनाने की होनी चाहिए कि जो -

- उक्त प्रकार से हमें सुविधाजनक लगे।
- जो हमारी आर्थिक स्वाधीनता सहित, हमारी प्रभुसत्ता - सार्वभौमता के लिए अनुकूल हो।
- जिसमें मात्र भौतिकता की आस न हो अपितु वह आध्यात्मिकता एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित हमारी जीवन-पद्धति से तालमेल करती हो।
- जो सभी दृष्टि से स्वदेशी अर्थव्यवस्था दे सके।
- एवं जो अन्यान्य देशों के प्रयोग तथा अनुभवों के आधार पर सिद्ध हुई अच्छाई स्वीकार करके या बुराई होने पर, अस्वीकार करने की व्यवस्था हमें दे सके।

इस संदर्भ में सरकार द्वारा स्वीकृति वर्तमान अर्थनीति को उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर परखना होगा।

जुलाई 1991 में नई अर्थनीति की घोषणा अन-अनुकूल समय में की गई थी। हमारे रिक्त मुद्राकोष को देखते हुए, संभावित अर्थ-संकट का सामना करने हेतु सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का जब दरवाजा खटखटाया था, उस समय नई अर्थनीति की घोषणा की गई थी। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने मौका

पाकर, भारत सरकार पर दबाव डाला एवं मुक्त बाजार व्यवस्था को यहां थोपा। इस संबंध में न सलाह – मशविरा हुआ था और न ही कोई विचार–विमर्श हुआ था। सरकार का यह निर्णय दबाव में आकर अन्य मनस्कता से लिया गया था।

स्पष्ट कहना हो तो – अपने भाग्य का फैसला अपने आप करने की भारत के लोगों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करते हुए, मुक्त बाजार व्यवस्था अपनाने का निर्णय, भारत वासियों पर थोपा गया है।

इसके कारण अपरिमित कर्ज के बोझ से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट सी गई है। और इसे हटाना असंभव नहीं हो तब भी भविष्य में कई–२ वर्षों तक इस कर्ज के बोझ से मुक्त होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता।

वस्तुत: विश्व के कई देश विदेशी कर्ज के इस भीषण जाल में फंस चुके हैं।

एक लॅटिन अमरीकी देश के जनरल का इस सिलसिले में प्रगट किया गया विचार बड़ा मार्मिक और विचारणीय है। जनरल सिमन बोलिवर ने कहा है कि –

> "मैंने संटंडर को सचेत किया था कि हम यदि विदेशी कर्ज लेंगे तो देश के विकास एवं उन्नति के लिए हमारे द्वारा किया जाने वाला सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि शताब्दि दर शताब्दि हम ऋण का व्याज चुकाते रहेंगे और अंत में वह ऋण ही हमें ले डूबेगा।

ऋण तो मूलत: ही घातक होता है, इस पहलू को भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा।

विदेशी सहायता या मदद पर अत्यधिक निर्भर रहने से हमारे राष्ट्र की जीवनी शक्ति ही नष्ट हो जायेगी। इसके कारण हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को विदेशी ऋण जोंक की तरह जकड़ लेगा और उसे खोखला बना देगा।

लगभग दो दशकों के पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र को, इस सिलसिले में सचेत करते हुए कहा था – कि –

"भविष्य में भारत तभी उन्नति कर पाएगा जब वह विदेशी कर्ज पर निर्भर रहने का विचार छोड़ देगा। इसके चलते हमने अपने स्वदेशी के मंत्र को भुला दिया है। हमारी अवनति का कारण - विदेशी कर्ज की मात्रा कम होना नहीं, बल्कि आवश्यकता से अधिक ऋण लेने से समस्या उत्पन्न हुई है। इसने हमें आत्मनिर्भरता के सिद्धांत से भी दूर हटा दिया है।"

क्या भारत विदेशी ऋण रूपी जाल के चक्रव्यूह में इस तरह फंसा नहीं है?

यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी विद्वानों ने यह कभी नहीं कहा है कि मुक्त बाजार व्यवस्था श्रेष्ठ पद्धति है, जिसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है।

अमरीकी राजनयिक श्री हेनरी ग्रिनबॉल्ड का कहना है कि -

"सत्य है कि जब तक मुक्त बाजार व्यवस्था से हमें लाभ होता रहेगा, हम उसे चलाएंगे। लेकिन जब विपरीत परिणाम दिखाई दें तो तत्काल हम अपनी प्रतिक्रिया कटु शब्दों में व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस समस्या का हल खोजे। हम दोनों तरफ से लाभ ही चाहते हैं।

"पूर्व में प्रचलित पूंजीवाद के दुष्परिणामों की भीषणता समाप्त करने में हम काफी मात्रा में सफल हुए। परन्तु पूंजीवाद में स्थित मूल दोषों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया है। जहां पूंजीवाद स्वार्थ एवं धन की लालच के आधार पर ही पनपता है, वहां समाज की व्यापक भलाई की उपेक्षा होती है - जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ पर अंकुश आवश्यक होता है। इन दो विरोधाभासों के कारण हम अब भी कभी उधर, कभी इधर खीचें जा रहे हैं।"

आज स्थिति यह है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पश्चिम के जिन-जिन देशों में प्रचलित है, वहां अंतहीन समस्याएं दिखाई देती हैं। इनमें प्रमुख हैं -

- भीषण बेकारी।

- मुद्रास्फीति एवं मूल्यवृद्धि, जिसके कारण सर्वसाधारण जनता का जीवन-स्तर गिरना।
- कई जन सेवाओं का बन्द किया जाना।
- एवं इसके परिणामस्वरूप मूल एवं अनुकूल बाजार व्यवस्था से परे हट कर अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना।

फिर भी हमारी सरकार दबी जबान से भी उक्त घातक अर्थनीति का विरोध करने की हिम्मत नहीं करती, एवं वह आंख मूंद कर विदेशीयों के दबाव में आकर, उनकी बनाई गई नीतियों को स्वीकार करते जा रही है।

अत: हमारे देश के सामने भी उक्त प्रकारकी समस्याओं का संकट निश्चित ही उत्पन्न होने वाला है, जो उपरोक्त समस्याओं से भी भीषण होगा। कुछ अतिरिक्त समस्यायें भी उत्पन्न हो सकती हैं यथा -

- विदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे बाजार में प्रवेश करने की मुक्त छूट, जिससे विदेशी माल से हमारा बाजार पट जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी।
- इससे हमारे घरेलू उद्योग नष्ट हो जाएंगे।
- विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हमारी अर्थव्यस्था को जोड़ने से, अपनी अर्थव्यवस्था भी महंगी होगी।

मुक्त बाजार व्यवस्था पर खुलकर बल दिए जाने से देश के इने-गिने कुछ लोगों को लाभ हो सकेगा, लेकिन बहुसंख्य जनता इससे बंचित ही रहेगी। इससे लोगों के बीच न केवल अमीर-गरीब के वर्ग निर्माण होंगे, उनमें फूट और संघर्ष की भी नौबत आएगी तथा मात्र अमीर मौज करेंगे, शेष पिसे जाएंगे।

## ढांचे में बदल : पर किस कीमत पर

घोषित मुक्त बाजार व्यवस्था के अनुकूल अपने औद्योगिक ढांचे में बदल करने हेतु संपूर्ण ढांचे के मूल रूप में ही परिवर्तन करने का प्रयास चल रहा है।

यह परिवर्तन हमें बहुत ही महंगा सिद्ध होगा। क्योंकि -

- इसके परिणाम स्वरूप बेकारी तथा मूल्यवृद्धि/मुद्रस्फीति के दो दैत्य हमें सताएंगे।
- इस सिलसिले में पूर्वी युरोप के कई देशों का अनुभव ध्यान में रखने लायक है। कि वे उक्त दो दैत्यों से परेशान हैं, साथ ही वहां अन्न की भी कमी एवं हजारों की संख्या में मजदूरों की छंटनी नित्य हो रही है।
- इन देशों में तेजी से एवं आश्चर्यजनक रूप से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। वहां की परिवार-व्यवस्था टूट चुकी है एवं व्यक्तिवाद तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पनप रहा है। वृद्धों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है।
- इंग्लैण्ड (यू०के०) में प्रति सप्ताह लगभग 1200 कंपनियां अपने आप को दीवालिया घोषित कर रही हैं। किसी समय आठ लाख श्रमिकों से काम लेने वाला कोयला उद्योग मृतप्राय हो गया है। यह, भूगर्भ में (खानों में) कोयला समाप्त होने के कारण नहीं, अपितु पुनर्नवीकरण के कारण हुआ है। बेकारी चरम सीमा तक अर्थात् 15% हो चुकी है। मनुष्य को जीने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है।
- स्पेन में बेकारी में 20% वृद्धि हो गई है तथा वह बढ़ती ही जा रही है।
- इसी तरह फ्रांस में यह वृद्धि 10.5% हो गई है। इसके कम होने के कोई लक्षण भी नहीं हैं।
- जर्मनी की हालत भी ऐसी ही है। वहां 55,000 इस्पात मजदूरों की छुट्टी की जा रही है। वर्तमान श्रमिकों की संख्या का यह 50% है।
- इटली की इस्पात-कम्पनी "लिव्हा स्पा" को 1.75 करोड़ लिरा

का घाटा 1992 में हो चुका है। इस कंपनी ने औद्योगिक एवं आर्थिक ढांचे के नवीनीकरण को घाटे के लिए जिम्मेदार बताया है।

यह वस्तुस्थिति है। पर हमारी सरकार ने इस सबका विचार किये बिना ही ढांचे के पुनर्नवीकरण की योजना बनाई है।

## नवीनतम तकनीक का आकर्षण :-

उद्योगों के नवीकरण की प्रक्रिया में नवीनतम तकनीक के उपयोग मुद्दा प्रमुख है।

यह मूलत: गलत है। यदि बुद्धिमानी से एवं योजकता से इस तकनीक का उपयोग किया गया तो वह लाभकारक होगा। इसके विपरीत जहां बुद्धि का एवं योजकता का अंश भी न हो वहां वह नुकसानदेह सिद्ध होगा। क्योंकि-

- नये तकनीक में श्रम का उपयोग कम होता है।
- और अद्यावत् (अपटुडेट) नया तकनीक हो तो उसमें श्रम की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां मशीन ही सारा काम कर लेती है।

जर्मनी में इस्पात के ऐसे कारखानें हैं कि जो लाखों टन इस्पात पैदा करते हैं लेकिन वहां मानव - श्रम का उपयोग ही नहीं होता।

क्या हम इसी तरह के तकनीक को अपनाना चाहते हैं?

- यदि नहीं तो हमें इस सिलसिले में कोई नीति निर्धारित करनी होगी। हमें एक "राष्ट्रीय तकनीकी नीति" बनानी होगी कि, जो यहां की विशाल श्रम-शक्ति का उपयोग कर सके।
- भामसं० तकनीक के विकास का विरोधी नहीं। पर विचार-पूर्वक विकसित तकनीक का वह पक्षपाती है।
- ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां अद्यावत नई तकनीक की आवश्यकता एवं अनिवार्यता होगी। प्रतिरक्षा का क्षेत्र ऐसा हीहै, जहां नवीनतम

हथियारों की आवश्यकता होती है। नाभिकीय शोध, समुद्र की गहराई की खोज, दवाइयां, वैज्ञानिक शोध आदि भी ऐसे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक का स्वागत है।

- नवीनतम तौर तरीके एवं प्रयोगों का उपयोग किया जा सकता है, पर यहां की आवश्यकता का ध्यान रखना होगा। हमारे वैज्ञानिक ऐसे नवीनतम तकनीक में अपने यहां की परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुकूल बनाएं यह आवश्यक है।
- कुछ नयी तकनीक ऐसी भी होगी कि जो हमारे लिए अलाभकारी और हानिकारक होगी। अत: उसे तो पूर्णत: ठुकराना होगा। अन्यथा वह हमारी अर्थव्यवस्था एवं देश के लिए घातक होगी।
- सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि हमारे "शोध एवं विकास" - विभाग (आर ऍड डी) को इतना सक्षम बनाया जाय कि वह हमारे यहां के हस्तशिल्पी एवं कारीगरों के लिए ऐसे उपयोगी घरेलू एवं पूर्णत: स्वदेशी तकनीक का विकास कर सकें।

इस हेतु ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों (उद्योगों) का कि जो विकसित देशी तकनीक का उपयोग कर सकें, पता लगाना होगा तथा इस सिलसिले में एक स्वस्थ नीति निर्धारित करनी होगी।

अंधाधुंध आयात एवं नवीनतम तकनीक के उपयोग के पक्षधर कहते हैं कि प्राथमिक अवस्था में इनके कारण भले ही श्रम-शक्ति के उपयोग में कमी हो जाय, अन्ततोगत्वा इस के कारण कामके अधिक आयाम उपलब्ध होंगे। परन्तु आज तक ऐसा कभी देखा नहीं गया, और न ही ऐसा हो सकेगा। अत: इसके विषय में भ्रम में पड़ने का कोई कारण नहीं।

# औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र का विचार करते समय हमारे नीति - निर्धारक मात्र सार्वजनिक एवं निजी ऐसे दो ही क्षेत्रों का विचार करते हैं। मानों वहां अन्य प्रकार की सृष्टि असंभव है। अर्थ-व्यवस्था के संबंध में जैसा कि अधूरा विचार होता है, वैसा ही औद्योगिक क्षेत्र में उक्त विचार अधूरा एवं गलत है।

भामसं० की सोच है कि उद्योगों में निजी स्वामित्व, सहकारिता, सामुहिक स्वामित्व, जनतंत्रात्मक स्वामित्व, नगरपालिका का स्वामित्व, श्रमिकीकरण, निजी उद्योग, गृह-उद्योग, श्रमिकों का स्वामित्व, श्रमिक एवं मालिक का मिलाजुला स्वामित्व - ऐसे अनेक प्रकार हो सकते हैं। इन सबमें एक या दो प्रकारों को मिलकर एवं लेनदेन में कुछ घटा-बढ़ाकर स्वामित्व के और भी प्रकार हो सकते हैं। अत: यह आवश्यक है कि इस हेतु एक "राष्ट्रीय आयोग" बने जो कि विभिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार की अर्थ-व्यवस्था एवं स्वामित्व की अनुकूल व्यवस्था बता सकें।

विशेषज्ञों की भी एक समिति बनें जो कि विभिन्न उद्योगों के अनुकूल उद्योग के विस्तार, स्थान एवं तकनीक के विषय में सलाह दें।

लेकिन नई औद्योगिक नीति में उक्त प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। नई नीति में तो सार्वजनिक क्षेत्र को अक्षम कह कर, उसे समाप्त करने की चर्चा जोरों से चल रही है। इसे घाटे का क्षेत्र भी कहा जा रहा हे।

इस सम्बन्ध में जो हंगामा किया जा रहा है, उससे लगता है कि निकट भविष्य में ही सार्वजनिक क्षेत्र सपनों की बात हो जायेगी।

## सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र :-

सार्वजनिक क्षेत्र यदि अनुपयोगी हैं तो उसे उपयोगी बनाने का विचार किया जाना चाहिए। व्यक्ति यदि अच्छा न हो तो उसे अच्छा बनाना चाहिए। लेकिन क्या निजी क्षेत्र सर्वथा अच्छा, सक्षम एवं लाभकारी है? विश्व बैंक की जिस

कथित सलाह पर हम सार्वजनिक क्षेत्र को मिटाने जा रहे हैं, क्या उस पर सोच विचार किया गया है? विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि -

> ० "क्या भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां अक्षम हैं? वस्तुत: ऐसा नहीं है। लेकिन जिस पद्धति से उनका संचालन होता है, उसके कारण वे अक्षम हो जाती हैं। इन इकाइयों को सर्वथा अक्षम समझना भूल होगी। इन उद्योगों के कारीगर, कर्मचारी अपने-अपने तकनीक के विशेषज्ञ माने जाते हैं। लेकिन वे कुछ विशेष निजी लाभ पाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, जो उन्हें मिलता भी है। वस्तुत: इस लालच के परिणामस्वरूप अक्षमता उत्पन्न होती है।

सच पूछा जाय तो यही संतुलित विचार है।

संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा एवं विकास की समिति (यू०एन०सी०टी०ए०डी०) ने प्रोफेसर लेन टेलर के शोध-पत्र के समेत जो कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, उनके अनुसार विकास एवं उन्नति के लिये उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रिया स्वस्थ एवं अनुकूल हो, ऐसी बात नहीं है।

भूतपूर्व अमरीकी राजनयिक श्री हेनरी ग्रनवॉल्ड कहते हैं कि -

> "निजी क्षेत्र भी भयानक रूप से अक्षम हो सकता है और यह प्राय: सरकारी तंत्र एवं अधिकारियों की भूलों तथा अड़ियल रवैया के कारण होता है।"

हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की छवि कोई इतनी अच्छी नहीं है। छोटी बड़ी लगभग दो लाख निजी औद्योगिक इकाइयां बीमार हैं। उनमें से कई पूर्णत: बंद हो गई हैं। इन इकाइयों के श्रमिकों की छंटनी हो गई हैं। इतना ही नही तो उद्योग बंद होने पर श्रमिकों को जो जायज मुआवजा मिलना चाहिए तथा उसका ब्याज एवं कर्जा मिलना चाहिये, उससे भी वे श्रमिक बंचित रह गये। एक अनुमान के अनुसार सितंबर 1989 के अंत तक यह रकम 8684 करोड़ रूपये के आसपास होगी। इन उद्योगों के बंद होने का मुख्य कारण अ-व्यवस्था,

धन का दुरूपयोग आदि है। लेकिन इन उद्योगों के स्वामित्व को कभी कोई आर्थिक या अन्य प्रकार का नुकसान सहना नहीं पड़ा, जिसकी दुहाई दी जाती है, उस न्याय की आंच तक, उद्योग - स्वामियों को , अनुचित व्यवहार, धोखाधड़ी आदि के बावजूद न लग सकी।

- भामसं० की दृष्टि में कोई गोमाता या पवित्र ग्रंथ नहीं है, और न ही भामसं० की ऐसी कोई सोच है कि संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त किया जाय। आखिर सार्वजनिक स्वामित्व का भी हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्व का स्थान है।
- सार्वजनिक क्षेत्र को आर्थिक सक्षम एवं कारगर बनाना चाहिए एवं त्रुटियों को दूर किया जाय तथा उत्पादन बढ़ाया जाय।
- सार्वजनिक क्षेत्र को उसके असली स्वामित्व - अर्थात जनता के प्रति जिम्मेवार बनाना होगा।
- उसमें मंत्री स्तरीय या प्रशासकीय नियंत्रण की सीमा एवं व्यक्ति पर पुनर्विचार हो।
- इस क्षेत्र के व्यवस्थापक में राजनैतिक हस्तक्षेप प्रतिबंधित हो।
- इसके प्रबंधन का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाय तथा उसे अधिक स्वायत्ता दी जाय। इसमें लगी सरकारी पूंजी का योग्य व्याज या मुआवजा वापस करने की जिम्मेदारी प्रबंधन पर डाली जाए।

सरकार एवं उसके वित्तमंत्री इस सबके साथ-साथ और भी बहुत कुछ कह चुके हैं। यह सब रिकार्ड में है।

जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति संबंधी अपने वक्तव्य में डा० मनमोहन सिंह ने कहा था कि -

> "अब समय आ गया है कि सार्वजनिक उद्योगों के प्रति सरकार, नया दृष्टिकोण अपनाए। औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का काफी महत्व है। अत: उसके प्रति हमें अधिक प्रतिबद्ध होना होगा। ऐसे उपाय सोचने होंगे, जिससे यह क्षेत्र अधिक

उत्पादन की दृष्टि से तथा सुयोग्य तकनीक की दृष्टि से सक्षम एवं कारगर हो सकें। जो उद्योग ठीक से नहीं चल रहे हैं, परन्तु उनमें काफी क्षमता छिपी हुई है, को चलनें लायक सक्षम बनाकर जीवित किया जाना चाहिए।

- लेकिन सरकारी कार्यवाई इसके विपरीत ही दिखाई देती है। सक्षम इकाइयों को भी उचित मात्रा में धन की मदद तथा सामान की आपूर्ति के भरपूर आर्डर्स, नहीं दिए जाते।

## भेल का उदाहरण ऐसा ही है।

- इन उद्योगों में उत्पादित माल सरकार या उसके विभाग खरीदते नहीं जैसे आय०डी०पी० एल० की औषधियाँ एवं रसायन।
- यहां के उद्योगों की अपेक्षा विदेशी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाती है। (उदा० तांबे के आयात पर से आयात कर कम करना, जिससे "हिन्दुस्तान कॉपर लि० को लाभ में कमी हुई)।
- चल-सामग्री (मशीनरी आदि) को बदलने पर लगाया गया नियंत्रण जो कि अंततोगत्वा उद्योग का अस्तित्व ही समाप्त कर देगा। (सामग्री बदलने पर रोक, राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों के विस्तार पर रोक आदि)

ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण अनगिनत होंगे।

यह सब तब हो रहा है जब हमारे वित्तमंत्री ने, 2 जनवरी 1993 को, श्रम-अर्थशास्त्र के वार्षिक अधिवेशन में (अॅन्युअल कॉनफरेन्श ऑफ लेबर इकॉनॉमिक्स) कहा था कि -

> "सार्वजनिक उद्योगों को प्रबन्धन में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, जो ऐसे स्वस्थ उद्योगों में प्रबन्धन को मिलती हैं।"

लेकिन उक्त प्रकार से कुछ करने के बदले प्रत्यक्ष व्यवहार में कुछ और ही दिखाई देता है। सरकार इन पर अधिक शिकंजा कसने जा रही है, जिससे कि अंततः उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाय।

# डंकेल प्रस्ताव

"बौद्धिक संपदा - अधिकार" (इन्टेलक्चुयल प्रापर्टी राइट्स) अब तक "सीमा शुल्क तथा व्यापार समझौता" गेट (जी०ए०टी०टी०) के अन्तर्गत समाविष्ट नहीं है। इस संबंध की "उरूग्वे वार्ता" के दौरान प्रथम बार निम्न लिखित नए बिन्दुओं पर विचार हुआ।

1. सेवा में व्यापार
2. व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा में उत्पाद के एकस्व (एकाधिकार) में - व्यापार।
3. व्यापार-संबंधित निवेश (इनवेस्टमेंट) में व्यापार।
4. पशु, कृषि, पौध, वनस्पति (जीवन से सम्बन्धित) व्यापार।
5. एकस्व (पेटेन्ट) की अवधि में परिवर्तन

भारत कृषि-प्रधान देश है। देश की 70% जनता कृषि पर निर्भर है।

भारतीय पेटेंट कानून - 1970 में कृषि क्षेत्र में बौद्धिक संपदा में उत्पाद पेटेन्ट का कोई उल्लेख नहीं है। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि की दर लगातार बढ़ते रहने पर भी भारतीय किसान अत्यल्प समय में आवश्यकता से भी अधिक अन्नोत्पादन में सफल होकर, देश की करोड़ों जनता को, भुखमरी से बचा सके।

कृषि एवं व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के डंकेल प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि कृषि एवं कारखानों के उत्पादन पर दूरगामी परिणाम करने वाले कानून एवं व्यवहार - प्रक्रियाओं में बदल किया जाय।

ये अत्यन्त विवादास्पद विषय हैं, अतः गहन समीक्षा एवं विचार विमर्श के बाद ही इस सबंध में कुछ सोचना चाहिए और यदि हमारे लिये आगे चलकर ये घातक सिद्ध होनेवाले हैं, तो उन्हें पूर्णतः ठुकराने की हिम्मत सरकार दिखाए। ऐसे समय भारत की संपूर्ण जनता एक जुट और एक मत से सरकार का साथ

देगी।

- भारतीय जनता के लिए कृषि रीढ़ जैसी है।
- अन्न जल एवं वायु जीवन की प्राथमिक आवश्यकतायें है।
- अत: अन्न के उत्पादन (भंडारन, वितरण, आवंटन) की हमारी स्वतंत्रता में किसी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाये।
- भारत की जनसंख्या का लगभग 30-40 हिस्सा गरीबी की निम्नतम रेखा के नीचे ही है। उसे भूख मिटाने के लिये राज्य का संरक्षण एवं सहयोग आवश्यक है। अत: भविष्य के कुछ वर्षों तक, कृषि को मिलने वाली सहायता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता है, लेकिन डंकेल प्रस्ताव तो इन सबका विरोध करता है।

## यदि यह प्रस्ताव मान्य किया जाय तो-

- कृषि को मिलने वाली सहायता समाप्त हो जायेगी साथ ही सरकार द्वारा कृषकों को मिलने वाला अनुदान-मूल्य भी बन्द हो जायेगा। उत्पादन पर दिये जाने वाले सहयोग मूल्य को 5% तक सीमित किया जाएगा।
- हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी आघात होगा, क्योंकि डंकेल प्रस्ताव के अंतर्गत इस प्रणली का लाभ मात्र उन्हें मिलेगा। जो अन्न की कमी के शिकार होगें।
- बीज के मामले में शोध के आधार पर, विदेशी एकाधिकार हो जाएगा एवं यहां के किसान, यहां के बीज का उपयोग कृषि में नहीं कर पाएगें। साथ ही विदेशी एकाधिकार वाली कंपनियों से बीज मंहगे दर पर प्राप्त करना होगा।

अंतराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त भारतीय कृषि विशेषज्ञ एवं श्रेष्ठ वैज्ञानिक डा०

एम.एस. स्वामिनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा कि डंकेल प्रस्ताव स्वीकार न किया जाये। कृषि के विद्वान विशेषज्ञ होने से शायद उनकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। श्री स्वामीनाथन कहते हैं कि –

- पौधों के लिए कच्चा माल कृषक ही तैयार कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप आय. आर. 66 किस्म के चावल की प्रजाति का पेटेंट देना हो तो वह किसे दिया जाएगा? जिन कृषकों ने इसके मूल बीज को सुरक्षित रखा एवं उसके पुंसवन तथा प्रजनन के प्रयोग हेतु दिया उन्हें पेटेंट दिया जाएगा या वैज्ञानिकों को दिया जाएगा? कोईबंटूर में गन्ने की कई किस्में विकसित की गई हैं, जो विश्व में फैल गई हैं। भारत भी विदेशों में हुई कृषि सबंधी खोज से लाभान्वित हुआ है, परन्तु बौद्धिक संपदा अधिकार के सबंध में डंकेल का प्रस्ताव मान लिया जाय तो शोध एवं विज्ञान का विभिन्न देशों को यह आदान–प्रदान बंद हो जाएगा और विज्ञान शास्त्री या विशेषज्ञ–विज्ञान की अपेक्षा व्यापार में उलझ जाएगें।
- अनुदान–मूल्य कृषि की सहायता, अन्न भंडार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सबंध में डंकेल प्रस्ताव की बातें स्पष्ट रूप से हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर आघात करने वाली हैं।
- डंकेल प्रस्ताव की असहमति को सरकार दबाने का प्रयास न करे। इसकी अपेक्षा, इस प्रस्ताव द्वारा विदेशों के आवश्यकता से अधिक उत्पादित अन्न के लिए बाजार खोजने वाले विकसित देशों के सब प्रकार के दबाव का, सरकार बुद्धिमानी से मुकाबला करे। क्योंकि यह प्रयास तीसरी दुनियां के देशों की प्रभुसत्ता पर आघात है।

# डंकेल प्रस्ताव का औषधियों एवं रसायनों पर परिणाम

"व्यापार सबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार" का डंकेल प्रस्ताव कहता है कि आपसी आदान-प्रदान करने वाले दोनों पक्ष उत्पादनों के पेटंटस को स्वीकार करें। लेकिन हमारे पेटंट कानून की धाराओं के यह विपरीत है। हमारे पेटंट कानून में रसायनों, औषधियों आदि क्षेत्रों में उत्पादन प्रकिया का पेटंट देने का प्रावधन है, न कि उत्पाद का। इस कारण यहां एक ही वस्तु कई पद्धतियों से निर्माण करने की सुविधा है।

हमारा पेटंट कानून उत्पादन आवेदन के पश्चात सात वर्षो के पेटंट की सुविधा देता है तथा पेटंट लेने के पश्चात पांच वर्षो की सुविधा। अर्थात् इनमें से जो भी पहले दिया जा सके। इसका कारण यह है कि पूंजी लगाने वाले के अधिकार एवं उसकी सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ-साथ हमारा पेटंट कानून उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुविधाओं की भी चिंता करता है, तथा दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है लेकिन डंकेल प्रस्ताव उत्पादन के पेटंट की अवधि बीस वर्षों की चाहता है।

राष्ट्रकुल में(यू.एन.आय.डी.ओ.) भारतीय पेटंट कानून को विश्व के विकसित देशों के लिए सर्वाधिक लाभकारी एवं श्रेष्ठ माना है। इसी कारण भारतीय पेटंट औषधियाँ यहां और विदेशों में भी सस्ते मूल्य पर मिलती हैं।

- हमारे पेटंट कानून द्वारा प्रदत्त प्रावधानों - सुविधाओं को समाप्त कर देने से आरोग्य रक्षण तथा जीवन-रक्षा करने में काम आने वाली औषधियां आदि मंहगी हो जाएंगी तथा सामान्य जनों के लिए वह खरीदना असंभव ही हो जाएगा।
- हमें हमारा पेटंट कानून पूर्णत: बदल देना होगा। और न्याय-पद्धति में बदल करना होगा।

0 डकेंल प्रस्ताव को मान्य करना, 1883 के पेरिस निर्णय को ही मान्य करने जैसा होगा। यद्यपि भारत इसमें शामिल नहीं था। यह सब हमारे संविधान के प्रतिकूल होगा। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति चंद्रचूड एवं न्यायमूर्ति शाह जैसे विद्वान विधि- विशेषज्ञों की राय में 1883 के पेरिस निर्णय की कुछ बातें भारतीय सविंधान के प्रतिकूल हैं। क्या तब भी डंकेल प्रस्ताव स्वीकार कर, हम अपने संविधान के विपरीत कार्य करेगें?

# बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रवेश की पूरी छूट

भारत सरकार की नई अर्थनीति में हमारी अर्थनीति को विश्व भर के देशों की अर्थनीति के साथ जोड़ने एवं संतुलित करने का प्रस्ताव है। इस दृष्टि से सरकार ने यहां के बाजार में विदेशी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश की मुक्त छूट दी है। यह पहले से ही ऐसा है। इनमें से कुछ आज भी हैं जो साबुन, ठंडे पेय, औषधियां एवं रसायन तथा उसे ही अन्य उत्पादन करते हैं।

लेकिन वे यहां की परिस्थिति के अनुसार काम करते हैं- जैसे मर्यादित पूंजी या शेयर, नियंत्रित निर्यात सुविधाएं- लाभ का नियोजित बहिर्गमन आदि का उन्हें ध्यान रखना होता है।

0 लेकिन अब वह सब समाप्त हो गया है।

0 अब उनकी शर्तें हम मानते हैं, हमारी शर्तें समाप्त हो चुकी हैं।

0 इन बहुराष्ट्रीय कपंनियों को यहां अब 51 प्रतिशत पूंजीनिवेश की छूट दी गई है। और यदि वे अपने सारे उत्पादन का निर्यात करें तो उन्हें 100% पूंजी निवेश की छूट रहेगी। मूल धन(पूंजी) विदेशों से लाने तथा यहां कमाये लाभ को विदेश भेजने की उन्हें पूरी पूरी छूट रहेगी।

0 इन कंपनियों को उनकी इच्छानुसार स्थान का चयन करने तथा

किसी भी वस्तु का उत्पादन करने की छूट रहेगी।

- और हमारी देशी कंपनियों को आग्रह किया गया है कि वे उक्त विदेशी कंपनियों से स्पर्धा करें।

इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आग्रह एवं दबाव है कि भारत सरकार उनकी सुविधा हेतु बीमा, बैंक आदि के दरवाजे खोल दे। हमारी राष्ट्रीयकृत बीमा सेवा इस दबाव में आकर विदेशी बीमा कंपनियों को भी उपलब्ध हो जायेंगी। विदेशी बैंकों का यहां काफी अरसे से कारोबार चल रहा है। लेकिन हमारी बैकों को जिन नियमों -बंधनों में रह कर काम करना होता है, वे नियम- बंधन विदेशी बैकों को लागू नहीं होते। उन्हें तो यहां विशेष सुविधाएं उपलब्ध थीं। इस पर भी हाल के बैंक घोटाले में देशी बैकों का जितना हाथ था उतना ही इन विदेशी बैंकों का भी था।

भारतीय मजदूर संघ विश्व के अन्यान्य देशों के साथ संतुलन बनाये जाने के विरूद्ध नहीं। लेकिन हरेक देश का राष्ट्रीय सम्मान एवं उसकी प्रभुसत्ता पर आंच न आए- यह तो देखना ही होगा।

- यह सोच गलत है कि बहुराष्ट्रीय कपंनियॉ हमारे देश में आकर, हम पर बड़ा उपकार कर रही हैं। वे तो अपना विस्तार करनें, लाभ बढ़ाने तथा अपना एकाधिकार स्थापित करने के स्वार्थ साधन में लगी हैं।
- उनके लिए 80 करोड़ उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला भारतीय बाजार अधिक सुविधाजनक है। अत: यह एक दूसरे पर निर्भर है तथा लाभकारी है।
- अत: यह अपेक्षा है कि बहुराष्ट्रीय कपंनिया जहां उद्योग प्रारम्भ करें, उस देश की सुविधाओं के आधार पर ही,बातचीत कर, समानता के स्तर पर कार्य करें।
- परन्तु वर्तमान सरकार की नीति विदेशी कंपनियों को अधिक सुविधा देने वाली है।

- 0 उन पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि हमारी आवश्यकतानुसार ही वे उस वस्तु का उत्पादन करें।
- 0 वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कपंनियाँ भारत में ऐसी उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हैं कि जिसमें विदेशी पूंजी या नवीनतम तकनीक की आवश्यकता नहीं के बराबर है।
- 0 नई अर्थनीति का तत्काल दिखाई देने वाला परिणाम यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों -"प्राक्टर ऍड गॅबल" तथा हिन्दुस्तान लीवर"ने क्रमश: दो प्रसिद्ध भारतीय कंपनियों- गोदरेज एवं टाटा को खरीद लिया है।
- 0 दूसरी ओर कहा जा रहा है कि भारतीय उद्योग राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्पर्धा करें। लेकिन जहां गोद्रेज एवं टाटा जैसी कंपनियॉ बहुराष्ट्रीयों के साथ स्पर्धा में टिक नहीं सकी, वहां अन्यों की क्या हालत होगी?
- 0 बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर इस सिलसिले में जब किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ही नहीं है, तब छोटी देशी कंपनियाँ अपनें आपको कैसे बचा पाएंगी?
- 0 सरकार ने ही जब उदारीकरण के नाम पर विदेशी कंपनियों पर से सारे नियंत्रण व निर्बंध हटा दिए हैं, तब स्वस्थ स्पर्धा कैसे हो सकेगी, और कौन कराएगा?
- 0 क्या राष्ट्रीय सम्मान जैसी कोई बात है ही नहीं?
- 0 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को, हमारी जनता को चूसनें की छूट नहीं होनी चाहिए।
- 0 उन्हें हमारे राष्ट्रीय उद्योगों को बर्बाद करने की भी छूट न हो।
- 0 उत्पादन की वस्तु तथा उद्योग एवं उसका क्षेत्र आदि की सीमा निश्चित करनी चाहिए एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस सीमा से बाहर जाने की छूट न हों।

- उन्हें ऐसे उद्योगों में मौका दिया जाय कि जहां हमारा तकनीकी ज्ञान अधूरा हो तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता हो।
- इन सब के अभाव में बहुराष्ट्रीय कंपनियॉ हमारे लिए अभिशाप बन कर रह जाएगी।

क्या सरकार इस सिलसिले में कुछ करने की हिम्मत दिखायेगी?

## काम के आयाम

भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे स्तर का जीवन जी रही है। इस सिथिति में सुधार लाने का उपाय है- काम के लाभकारी आयाम या विधाएं निर्माण करना । हर हाथ को काम देने से गरीबी निश्चित ही दूर होगी। अत: हमारी अर्थनीति की यह आधारभूत एवं मध्यवर्ती कल्पना होनी चाहिए।

डा० मनमोहन सिंह ने 2 जनवरी 1993 को यह विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि-

"काम की विधाएं या लाभकारी आयामों में वृद्धि करने से ही गरीबी में कमी आएगी। अत: अपने देश में इसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता दिखाई देती है।"

1992 में भारत में बेकारों की संख्या चार करोड़ थी। इसके साथ ही अधूरा काम करने वाले या अस्थायी काम करने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या है। योजना आयोग का अनुमान है कि इस दशक के अंत तक अर्थात सन् 2000 में यह संख्या 10 करोड़ हो जाएगी।

यह एक भीषण समस्या है जिसका निवारण प्राथमिकता के आधार पर हमें करना है- क्या ऐसा हो रहा है?

इस तरह के काम के विविध आयाम निर्माण करने के साथ-साथ, इसके आगे का प्राथमिक लक्ष्य होने चाहिए- सामाजिक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वर्गो के बीच संतुलन स्थापित करना ? क्या यह हो रहा है?

डा० मनमोहन सिंह ने कहा है कि यह एक भ्रम है कि लोगों को काम देने का काम प्रमुख रूप से सरकार का है। लोगों को काम देना मात्र पर्याप्त नहीं, उनके द्वारा लाभकारी निर्माण करवाना चाहिए।

उक्त वक्तव्य एक अपवाद ही है है। लेकिन सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि ऐसा एक वातावरण बनें जिससे काम के लाभकारी आयाम एवं उतपादन की विधाएं उत्पन्न हों। कम से कम सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से ऐसे प्रयास में बाधक न बने।

- काम का अर्थ वैतनिक काम ऐसा न लगाया जाय । और सरकारी काम - यह अर्थ बिल्कुल ही नहीं।
- भारत में नव रोजगार का अवसर अधिक है। वस्तुत: यह हमारी प्राचीन परंपरा ही रही है। आत्मनिर्भर ग्रामों की हमारी कल्पना में, वहां रहनेवालों की सब प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले, अर्थ व्यवस्था के सभी पहलुओं का अस्तित्व था। इस व्यवस्था में स्वरोजगार में लगे लोगों का ही योगदान प्रमुख था।
- परन्तु यह चिंता का विषय है कि स्व-रोजगार का प्रतिशत अब घटता जा रहा है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने वाला है।
- अत: यह आवश्यक है कि ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाय कि जिससे स्वरोजगार का अवसर बढ़े और विपुल हो।
- इसके पश्चात छोटे उद्योग एवं लघु उद्योगों की बात आती है। इन उद्योगों में काम का अधिक अवसर प्राप्त हो सकता है। इन उद्योगों को प्रोत्साहन मिले तथा रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कुछ विशेष सुविधाएं दी जाए।
- अति उच्च स्तर के तकनीक का उपयोग करने के प्रति हमारा जो आकर्षण है, वह रोजगार का अवसर कम करने में ही सहायक हो सकता है। मानों हम उद्योगों में श्रम के महत्व को ही भूल चुके हैं। अब समय आ गया है कि श्रम पर आधारित अर्थ व्यवस्था पर हम अधिक बल दें।

कृषि का क्षेत्र है जिस पर 70 प्रतिशत जनता निर्भर रहती है। भारत अब भी कृषि-प्रधान देश है। भारत की आत्मा ग्रामों में बसती है। अत: कृषि को दिया गया प्रोत्साहन तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को दी जाने वाली सुविधओं से बेकारी की समस्या काफी मात्रा में कम हो सकेगी।

- लेकिन पश्चिम के प्रति बढ़ रहे हमारे आकर्षण के कारण हम इस ओर दुर्लक्ष कर रहे हैं। हम तो लोगों को उजाड़ने वाले बड़े-बड़े बांधों के पीछे पड़े उसको छोड़ रहे हैं। इन बांधों से जंगल भी नष्ट होते हैं और उनसे पर्यावरण की समस्याएं भी खड़ी होती हैं।
- इसकी जगह छोटी एवं लघु सिचांई योजनाएं अधिक उपयोगी होंगी जो रोजगार के अवसर भी निर्माण कर सकेंगी तथा कृषि के विकास में भी सहायक बन सकेंगी।
- क्या हमारी नई अर्थनीति में उक्त विचार के लिए कोई स्थान है? या हमारी मात्र मौखिक सहानुभूति है?
- नई अर्थनीति तो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की, उनके लिए धन की व्यवस्था न करने की बात करती है।
- साथ ही यह नीति लोगों को रोजगार छोड़नें हेतु लालच देकर , उन्हें ठग रही है।
- इसमें शिक्षा एवं सेवा के नए अवसर की बात है, पर यह अवसर कहां होगा?
- नवीनीकरण के नाम पर एक फंड का प्रावधान इसमें है जो लोगों को काम छोड़ने हेतु प्रोत्साहन देता है। उन्हें भरपूर मुआवजे की लालच भी इसमें दी गई है।
- अंत में छंटनी की नीति की बात है। पर इस सबंध में कोई स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि यह क्या है?

रोजगार के इन सभी नकारात्मक पहलुओं पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन रोजगार के अवसर के बारे में उसमें एक शब्द भी नहीं कहा गया।

0 हम रोजगार के लिए चिंतित हैं। हम हर हाथ को काम एवं स्वस्थ एवं सभ्य जीवन हेतु उचित अर्थोपार्जन के इच्छुक हैं।

अब तक हमारी योजनाएं बेकारी की समस्या का हल ढूढंने में सफल नहीं हो सकी हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारी योजनाओं की कसरत मात्र ऊपरी स्तर के विचार तक ही सीमित रही है। इससे निचले स्तर पर कोई उत्साह निर्माण नहीं हुआ एवं इस कारण छोटे स्तर पर जनता की भागीदारी इन योजनाओं में नहीं हो सकी। अत: उचित परिणामों के लिए उक्त प्रकिया पर पुनर्विचार आवश्यक है।

## स्वदेशी

स्वदेशी के सहजगम्य मंच ने हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में जान फूंकी थी ओर उसे सफल भी बनाया। गांधी जी स्वदेशी को एक रचनात्मक मंत्र मानते थे कि जो लोगों के स्वभाव एवं चारित्र्य में रचनात्मक एवं स्वस्थ बदल लाने में सक्षम था।

आज हम इसी तरह के जाल में फंसे हैं जैसा कि स्वतंत्रता आन्दोलन के समय था। आर्थिक दृष्टि से विकसित एवं संपन्न देश, विश्व में सब ओर, आर्थिक विकास के पश्चिमी सिद्धान्त एवं पद्धति बताकर अपने स्वार्थ साधन में लगे हैं। वे इसके माध्यम से अपने देशों का निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही तकनीक भी। वे अपने देश के मानवों की सेवाएं इस काम में लगाने का स्वांग रचकर, उनके भी रोजी-रोटी की व्यवस्था परस्पर करना चाहते हैं। उनका यह प्रयास अविकसित या अविकसित देशों में चल रहा है। इसके पीछे इनका यह सुनियोजित प्रयास भी है कि उनके अपने उद्योग पनपें।

लेकिन इससे अर्द्धविकसित या अविकसित देशों पर आर्थिक गुलामी की तलवार लटकने लगेगी, क्योंकि ये देश ऋण के जाल में फंस जाएंगे।

इस संकट से बाहर निकलने के लिए, हमें पुन: एकबार स्वदेशी जागरण का प्रयास करना होगा, जो स्वराज्य - प्रप्ति के पश्चात् हमने अनावश्यक मानकर छोड़ दिया था।

महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, योगी अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द, गोखले, बंकिम चंद्र, डा० हेडगेवार, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चन्द्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोकनायक जयप्रकाश, सरदार पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद आदि सभी राष्ट्र भक्तों ने स्वदेश एवं स्वदेशी पर काफी बल दिया था "स्वदेशी के इसी मंत्र ने हमें स्वतंत्रता के संग्राम में शक्ति एवं क्षमता, साहस एवं धैर्य तथा सेवा एवं बलिदान की प्रेरणा प्रदान की थी।

आज भी विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों पर किए गये आर्थिक आक्रमण का सामना करने हेतु उक्त गुणों की आवश्यकता है।

हमारे स्वतंत्रता - संग्राम ने विश्व के कतिपय देशों को प्रेरित किया एवं गुलामी से मुक्त होने का मार्ग बताया। आज भी विश्व के कई देश आर्थिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। हमें उनका मार्गदर्शन करना होगा।

- स्वदेशी का व्यवहार मात्र हमारे भौतिक जीवन की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं।
- यह तो हमारे मन-मस्तिष्क, बुद्धि, चातुर्य एवं विचार में भी परिव्याप्त होना चाहिए।
- स्वस्थ रचनात्मक जीवन का यह एक आवश्यक अंग है।
- "स्वदेश" से ही मानव - मानव के बीच एकता-प्रस्थापन संभव है। साथ ही उन्नति एवं सुख की प्राप्ति।

डा० अम्बेडकर का यह मत था कि रूपये का मूल्य अपने देश में आपसी लेन-देन में भी -स्थिर रहे। यह होने से अपने आप मुद्रा-विनिमय का दर ठीक होगा। उनके मतानुसार "रूपये के विनिमय मूल्य में जो गिरावट आती है, वह, रूपये के क्रय-मूल्य में गिरावट के कारण है।" हिल्टन यंग कमिशन" ने कहा था कि - "मूल्य - वृद्धि की अपेक्षा मूल्यों में गिरावट अच्छी होती है।

अत: यह आवश्यक है कि मूल्य-वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया जाय। इसी के चलते रूपये की क्रयशक्ति कम हो जाती है। विश्लेषण करते हुए

बढ़ते मूल्यों पर अंकुश लगाने का एक रास्ता खोजना होगा।

भामसं० का यह मत है कि उत्पादकों को, उत्पादन - मूल्य घोषित करने को बाध्य किया जाय, तो यह समस्या हल हो सकती है। उपभोक्ता उत्पादन-मूल्य जान जाय तो वह सस्ती वस्तु खरीदेगा एवं इससे मूल्य अपने आप ठीक होंगे। इससे कीमतें नीचे आने से मानव-जीवन सुलभ हो जायेगा।

''स्वदेशी में इस तरह से विकास के कई नए आयाम प्रस्तुत करने की क्षमता है। अत: इसी के माध्यम से आर्थिक विकास, उन्नति, स्थिरता, एवं सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना उचित होगा।

माननीय राष्ट्रपति जी,

यह द्वितीय अवसर है कि राष्ट्रपति की इस गरिमामय व्यवस्था के माध्यम से हम सामान्य जनों की तथा विशेषकर गरीब श्रमिकों की समस्याओं, भावनाओं को मुखरित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पूर्व 1969 में हमने ऐसा प्रयास किया था जब माननीय श्री वी०वी० गिरी राष्ट्रपति पद पर विराजमान थे। उस 17 नवम्बर 1969 को भी हमने एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था जिसे हमनें - ''कर्तव्य एवं अनुशासन का मार्ग'' (ऑन आर्डर ऑफ डयूटीज अॅड डिसिप्लिन्स) कहा था।

इसमें, अपने राष्ट्र-जीवन के तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कर्तव्य एवं अनुशासन के विषय में, भारतीय मजदूर संघ के विचार एवं अपेक्षाएं प्रगट की गई थी। उस मांग पत्र के पृष्ठ 7 में, हमने लोगों द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि संस्थाओं के विषय में निम्नलिखित बातों पर बल दिया था।-

- लोक सभा एवं राज्यों की विधान-सभाओं की संरचना एवं कार्यप्रणाली की प्रकृति में - बदल किया जाय। क्षेत्रानुसार प्रतिनिधित्व घटाया जाय। प्रत्येक सदस्य को अधिक क्षेत्र आवंटित कर, ऐसा किया जा सकेगा। कार्यकारी प्रतिनिधित्व को स्थान मिले। उक्त दोनों संस्थाओं में, औद्योगिक क्षेत्र तथा संबंधित

व्यापार क्षेत्र को, प्रतिनिधित्व दिया जाय। साथ ही संगठित श्रमिक क्षेत्र श्रमिक को स्वायत्त शासी संस्थाओं में एवं विश्वविद्यालयीन सिनेट में, प्रतिनिधित्व दिया जाय।

- इस हेतु, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर, औद्योगिक क्षेत्रों का परिसीमन किया जाय।
- राष्ट्रीय आय में उद्योग के सहयोग (हिस्सा) के अनुपात में उद्योग के श्रमिकों को हिस्सा दिया जाय, लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले।

आज आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारा 1969 का मांग पत्र भी पढ़ें (जो यहां संलग्न है) उसमें राष्ट्रीय अर्थनीति के सिलसिले में हमने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उस (पूर्व के) मांग पत्र के पृष्ठ 11 पर, "बैंक उद्योग में अनुशासन" शीर्षक के अंतर्गत हमने विचार व्यक्त किया है कि अपनी वित्तीय संस्थाओं का संचालन किस तरह हो एवं उनका लक्ष्य क्या हो? हमें लगता है कि यदि तत्कालीन सरकार हमारे उक्त विचारों पर ध्यान देती तो वित्तीय संस्थाओं में आज फैली धांधली एवं अव्यवस्था न देखनी पड़ती और न ही हमारी राष्ट्रीय साख पर चोट करने वाला "बैंक घोटाला" (बैंकस्कॅम) होता।

हमने अपने उस मांग पत्र में कहा था कि -

- रिजर्व बैंक का दर्जा बढ़ाकर, एक स्वायत्त एवं अधिकार सम्पन्न पद स्थापित कर, मुद्रा - चलन एवं कोष उसके सुपुर्द कर दिया जाय। इस हेतु रिजर्वबैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) में प्रशासकीय अधिकारी एवं राजनीतिज्ञों के बदले स्वतंत्र रूप से काम करने वाले अर्थशास्त्रियों को स्थान दिया जाय। इस अधिकार - संपन्न पद के जिम्मे मुद्रा - चलन - नियंत्रण एवं पूंजीकोष - नियंत्रण के माध्यम से मूल्य स्थिरता लाने की व्यवस्था सौंपी जाय।

हमारा आपसे निवेदन है कि पूर्व के मांग पत्र की हमारी मांगों पर अविलम्ब विचार करने की सलाह आप सरकार को दें। ऐसे ही अन्य महत्व के बिन्दुओं पर भी आप सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें।

तत्काल हम आपकी सेवा में निम्नलिखित प्रमुख मांगों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिनमें सरकारी नीति का प्रश्न आता है -

## 1. न्यूनतम वेतन

अनुसूचित उद्योगों के कृषिएवं अन्य उद्योगों में कार्यरत असंगठित कर्मचारियों के लिए, केन्द्र एवं राज्य सरकारें, न्यूनतम वेतन कानून के आधार पर, समय-समय पर, न्यूनतम वेतन निर्धारित करती हैं। यह अनुसूचि अपूर्ण एवं अधूरी होने के कारण कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या न्यूनतम वेतन की उक्त सुविधा से बंचित रह जाती है। जिन अनुसूचित उद्योगों में वेतन निर्धारण पहले से ही निश्चित हुआ रहता है, वहां उन श्रमिकों, कर्मचारियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने लायक वेतन देने की कोई चिंता नहीं की जाती। अधिकांशत: वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा नहीं जाता जिससे मूल्य-वृद्धि के चलते वेतन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता।

अत: यह आवश्यक है कि -

अ राष्ट्रीय स्तर पर न हो सके तो कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के सभी एवं प्रत्येक अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाय।

आ. योग्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन, गरीबी की रेखा से नीचे स्तर का न हो।

इ. न्यूनतम वेतन कानून के अंतर्गत निर्धारित वेतन में, उस समय की मंहगाई का मूल्य सूचकांक के आधार पर विशेष भत्ता जोड़ा जाय।

## 2. गैर - अस्थायीकरण

केन्द्र एवं राज्य सरकारें, अर्ध सरकारी संस्थाएं, केन्द्र एवं राज्य स्तरीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा भारी मात्रा में, अन्य सुविधाओं से बंचित ऐसे कम वेतन पर, अस्थायी कर्मचारियों को भरती किया जाता है। इन्हें साधारण या अस्थायी कार्य ही करने को कहा जाता हो, ऐसी

बात नहीं। वे वर्षों तक उसी काम में लगे रहते हैं जो वस्तुत: स्थायी स्वरूप का कार्य होता है। यह अनुचित प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। स्थायी स्वरूप का कार्य करने वाले वर्तमान के अस्थायी कर्मचारी को स्थाई बनया जाय।

## 3. ठेके पर काम कराना

स्थायी कर्मचारियों से काम लेने के बदले, उन्हें बिठाकर, ठेकेदार से काम करवाने की प्रथा इन दिनों अधिक बढ़ गई है। सरकारी विभागों द्वारा संचालित उद्योगों में एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भी यह पद्धति अपनाई जा रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा, इस प्रथा के विरूद्ध निर्णय के पश्चात् भी, इसका प्रचलन बंद नहीं हुआ है। इस अनुचित प्रथा को निर्मूल करना चाहिए।

## 4. बोनस

वर्तमान बोनस कानून बहुत ही मर्यादित है। सभी प्रकार के वेतन धारियों पर यह लागू नहीं होता। जिन उद्योगों में यह लागू है, वहां 2500/- रु० की वेतन सीमा पर भी यह लागू नहीं होता। 1600/- रु० से अधिक पर 2500/- रु० तक के वेतन पर जो बोनस दिया जाता है, वह मात्र 1600/- रु० के वेतन मान पर आधारित होने वाला होता है। ये त्रुटियां एवं बंधन समाप्त होने चाहिए तथा बोनस कानून का लाभ सभी वेतन भोगियों को मिल सके, इस तरह उसका दायरा बढ़ाना चाहिए।

## 5. बीमा एवं पेंशन

बीमा एवं पेंशन योजनाओं का विस्तार, सभी को लाभ देने की दृष्टि से करना चाहिए।

## 6. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का प्रबन्धन

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक नियंत्रण, कड़ाई एवं राजनैतिक हस्तक्षेप का बोल बाला है। इसे निर्मूल करना चाहिए। प्रबंधन को

अधिक अधिकार देकर मुक्त रूप से कार्य करने का मौका दिया जाय तथा उत्पादन वृद्धि की क्षमता बढ़ाने एवं भरपूर लाभ कमाने हेतु वहां से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। प्रतिष्ठानों के सच्चे स्वामी जनता की प्रतिनिधि संस्था संसद के प्रति प्रबंधन को जिम्मेदार बनाना चाहिए।

## 7. राष्ट्रीय तकनीक नीति

निम्नलिखित उद्धेश्य से राष्ट्रीय तकनीक निर्धारित की जानी चाहिए।

अ. हमारे उद्योगों को योग्य तकनीकी प्राप्त हो, जो हमारी विशेष परिस्थिति के अनुकूल हो, एवं विशाल मात्रा में उपलब्ध मानव-श्रम की उपेक्षा न कर सके।

आ. जो हमारे शोध एवं विकास कार्यक्रमों का आधार बनें।

इ. जो आयात का पर्याय दे सके।

ई. जो अंधाधुंध काम्युटरीकरण को प्रोत्साहन न दे।

उ. आयातीत तकनीक की अनिवार्यता वाले उद्योगों या क्षेत्रों, जिनमें स्वदेशी तकनीक उपलब्ध न हो, को खोजना।

## 8. मान्यता देने की नीति

श्रम संघों को मान्यता देने संबंधी वर्तमान में कोई एक निश्चित नीति नहीं है। कुछ सरकारी विभागों में, मान्यता के आधार पर, एक या दो या तीन श्रम संघों को वार्त हेतु बुलाया जाता है। उसमें भी, मान्यता के बाबजूद, संयुक्त सलाहकार समिति (जे०सी०एम०) में सबको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भी विभिन्न श्रम संघों के लिए विभिन्न मापदंड अपनाए जाते हैं।

भारतीय मजदूर संघ के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है, यद्यपि श्रम मंत्रालय के सदस्यता सत्यापन के आधार पर इसे देश के द्वितीय बड़े श्रम संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर भी कतिपय मंत्रालय भामसं० के महासंघों को,

वार्ता हेतु आमंत्रित नहीं करते। यह पक्षपात समाप्त होना चाहिए।

## 9. घाटे वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को लाभ देने वाले बनाना

घाटा देने वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को, श्रमिकों कर्मचारियों के उचित सहयोग से, सरकार लाभकारी प्रतिष्ठान बनाने का प्रयास करे।

## 10. सार्वजनिक प्रतिष्ठनों का निजीकरण

वर्तमान सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण, सरकार न करे।

## 11. विदेशों में भारतीय श्रमिक

हमारे देश के शिक्षित या अशिक्षित लाखों युवक, रोजगार एवं जीविका की खोज में विदेशों में जाते हैं, - जा रहे हैं। लेकिन रोजगार की अनिश्चितता वेतन में भेदभाव या पद्वापात, एवं सामाजिक सुरक्षा के सिलसिले मे भी भेद-भाव आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विश्व के कतिपय देशों में प्रचलित कानून भी अपना-पराया या देशी-विदेशी के आधार पर पक्षपात का कारण बना है- उसका भी सामना इन युवकों को करना पड़ता है। अत: यह आवश्यक है कि सरकार इस संबंध में उचित एवं कारगर कदम उठाए एवं इन युवकों को संरक्षण प्रदान करें।

## 12. महिला श्रमिक

महिला श्रमिकों को सुविधा एवं संरक्षण प्रदान करने वाले कई कानून अपने देश में बने हैं। परन्तु कारगर ढंग से उनका उपयोग नहीं होता। अत: नौकरियों या रोजगार में महिलाएं भेदभाव या पक्षपात का शिकार बनती हैं। तकनीक के आधुनिकीकरण के कारण भी सर्वप्रथम महिलाओं को ही शिकार बनना पड़ता है।

अत: संबंधित कानून का उपयोग करते हुए, समान कार्य के लिए समान वेतन, उनके मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा का उचित ध्यान रखना- इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

## 13. बाल श्रमिक

विश्व के कई हिस्सों में, अधिक कष्टकारी एवं अधिक कठिन उद्योगों में बाल श्रमिकों का उपयोग एवं उनकी उपेक्षा की ओर इस बाल श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मे, विश्व के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। बाल श्रमिकों की समस्या - सामाजिक शैक्षिक, नैतिक आदि पहलुओं से जुड़ी है। उनकी यह समस्या दूर करने एवं बाल श्रमिक प्रथा को मिटाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सामाजिकता आदि के माध्यम से उनका समुचित विकास करने का प्रयास, इन क्षेत्रों में कार्यरत सामाजिक समस्याओं द्वारा होना चाहिए।

## 14. विदेशी घुसपैठिए

भारत में, निकटवर्ती देशों के अवैध घुपैठियों की संख्या, बहुत बढ़ी है, जिनमें बंगला देशी अधिक हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजनैतिक उलझनों के अतिरिक्त आर्थिक समस्यायें भी उभरती हैं। हमें हमारे युवकों को रोजगार का अवसर प्राप्त करा देना होता है, जो हम पूर्ण रूप से कर नहीं पाते। अवैध घुसपैठियों के कारण इस रोजगार की समस्या में भी एक कठिन आयाम जुड़ जाता है। सरकार इस समस्या के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करे तथा इस अवैध घुसपैठ को निरस्त करने हेतु अधिक कड़े कदम उठाएं।उनके द्वारा जमीन हड़पा जाना एवं उस पर बस जाना यह भी बन्द होना चाहिए।

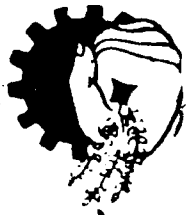

20 अप्रैल 1993 को

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रैली

के शुभ अवसर पर

भारत के मजदूरों का

भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत

# राष्ट्रीय मांग-पत्र

# राष्ट्रीय मांग पत्र

भारतीय मजदूर संघ द्वारा नयी दिल्ली में आयोजित 20 अप्रैल 1993 की राष्ट्रीय रैली के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय मांग पत्र के अतिरिक्त निम्नांकित मांगों से सम्बन्धित मांग पत्र भी भारत सरकार को दिया गया ताकि वह अति शीघ्र विचार करें और उसे लागू करे। यह मांग पत्र कर्मचारियों की औद्योगिक और आर्थिक मांगों के सम्बन्ध में अति आवश्यक है, जबकि पहला मांग पत्र भी राष्ट्र की आर्थिक नीतियों से सम्बन्धित है, जिससे भारत की जनता प्रभावित है, जिसमें भारत का मजदूर भी सम्मिलित है।

## सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का मांग पत्रः-

1. वेतन समझौता वार्ता अति शीघ्र आरम्भ की जाय।
2. विगत वेतन समझौता के समय पेन्शन स्कीम पर अतिरिक्त लाभ के रूप में, जो सहमति हुई थी उसे अविलम्ब घोषित किया जाय।
3. अधिकतम बोनस दिए जाने के सम्बन्ध में बोनस कानून में संशोधन किया जाय, बोनस प्राप्त करने की पात्रता जो 2500 तक वेतन पाने वालों को है उन्हें केवल 1600/-रू० बोनस जो सीमित किया गया है, उसमें बदल किया जाय तथा पूरे वेतन पर बोनस दिया जाय।
4. मंहगाई भत्ते का स्लैब सिस्टम 1-11-1992 से आरम्भ किया जाय।
5. ठेकेदार मजदूरों को नियमित किया जाय, और उनको भी नियमित कर्मचारियों के बराबर भुगतान किया जाय।
6. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कर्मचारियों को शेयर दिया जाय।
7. सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों में अधिकारियों का चयन केन्द्र नियंत्रित सेवा चयन परिषद द्वारा किया जाय और नियुक्ति किए जाने से पूर्व उन्हें विधिवत ट्रेनिंग दी जाय।

## सुगर, पल्प, पेपर, स्ट्रा बोर्ड और डिस्टिलियरी उद्योग से सम्बन्धित कर्मचारियों की मांगें-

### सुगर-

सुगर उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य अधिक लाभ के पुनरीक्षण हेतु चतुर्थ वेतन आयोग गठित किया जाय।

### पल्प, पेपर, स्ट्रा बोर्ड-

इस उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनर्निरीक्षण हेतु बेजबोर्ड का गठन किया जाय, जो पहला बेजबोर्ड होगा, कारण कि इससे पूर्व इनका वेतन पुरीक्षण हेतु कभी भी बेजबोर्ड नहीं गठित किया गया है।

## डिस्टिलियरी-

डिस्टिलियरी कर्मचारियों के प्रारम्भिक वेतन निश्चित किए जाने हेतु वेजबोर्ड का गठन किया जाय। इनके अतिरिक्त इस उद्योग से सम्बन्धित औद्योगिक महासंघों की मांग है कि बोनस कानून में संशोधन किया जाय ताकि उसमें लगी सीमा को निरस्त किया जा सके। ग्रेच्युटी एक्ट में अधिकतम दिए जाने सम्बन्धी बांधी गई सीमा को निरस्त किया जाय तकि ऐसे उद्योगों जो सीजनल हैं उनके सम्बन्ध में दिए गये प्रावधान को भी रद्द किया जाय। वर्कर्स कम्पेनसेशन कानून में भी इस तरह के संशोधन किए जाए कि क्षतिपूर्ति की रकम में वृद्धि हो सके। इसलिए 1000/-रू० की बांधी गई सीमा को निरस्त किया जाय।

कन्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एवालिशन) एक्ट में संशोधन कर ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय।

## इंजीनियरिंग मैटल कर्मचारियों की मांगें-

1. केन्द्रीय इंजीनियरिंग वेतन मण्डल का गठन किया जाय।
2. बीमार तथा बन्द प्रतिष्ठानों के चलाये जाने के लिए अति शीघ्र कार्यवाई की जाय।
3. लेबर स्टेटिक्स की पुस्तक में इंजीनियरिंग उद्योग से सम्बन्धित स्टेटिक्स अलग से दिया जाय।
4. इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री में त्रिपक्षीय वार्ता बैठक नियमित रूप से बुलाई जाय।
5. बोनस, ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. कानून के प्रविधानों को ठीक से लागू किया जाय।
6. इंजीनियरिंग उद्योग की सभी इकाईयों में ई.एस.आई. लागू किया जाय।
7. ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए तथा ठेकेदार मजदूरों को नियमित किया जाय।

8. सभी रोकों को हटाने के लिए बोनस कानून में संशोधन किया जाय।

## जूट ओर टैक्सटाइल उद्योग के कर्मचारियों की मांगें-

1. बहुत तेजी से हो रही बंदी, छटनी, तालाबन्दी को समाप्त किया जाय।
2. भविष्यनिधि एवं गेच्युटी का भुगतान कर्मचारियों को समय पर किया जाय, तथा वेतन का भुगतान समय पर बिना किसी कटौती के किया जाय।
3. मजदूरों को काम की गारन्टी दी जाय।
4. जहां कहीं भी कर्मचारी कारखाना चलाने को तैयार हैं, उन्हें कारखाना सौंप देना चाहिए, तथा सभी देनदारी को समाप्त कर देना चाहिए।
5. पेंशन स्कीम लागू की जाय।
6. मान्यता प्राप्त केन्द्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों को जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (जे.सी.आई.) और जूट मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट काउंसिल (जे.एम.डी.सी.) के बोर्ड में रखा जाय। उसी प्रकार एन.टी.सी. और उसकी सहायक इकाइयों में भी स्थान दिया जाय।

## गैर कोयला खदान कर्मचारियों की मांगें-

1. गैर कोयला खदान में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण अन्य सेवाशर्तें जैसे अवकाश, पेंशन, ग्रेज्युटी, मैडिकल एलाउन्स आदि तय करने के लिए द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जाय। जब तक यह कार्य नहीं किया जाता है तब के लिए कर्मचारियों को निम्नांकित वेतन मान दिया जाय-

| | |
|---|---|
| अकुशल | - 1000/-रू० |
| अर्धकुशल | - 1200/-रू० |
| कुशल | -1500/-रू० |

ठीक उसी प्रकार कानूनन अधिकृत कर्मचारी जैसे- ब्लास्टर, माईनिंग मेट्स, फोरमैन, आदि और कार्यालय कर्मचारी, जेसे एकाउन्टेन्टस, कैशियर, टाईम कीपर्स आदि चाहे निजी मालिकों के आधीन या ठेकेदारों

द्वारा चलाए जा रहे स्टोन, चाइना क्ले खदानों में कामकर रहे हैं के वेत
और अन्य सेवा शर्तें तय करने के लिए द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय बोर्ड व
गठन किया जाय।

2. परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता एक रूपये के स्थान पर दो रूपया किया जाय।

3. मालवीय समिति की अनुशंसा के अनुसार पत्थर की खदान, चाइना मिट्टी की खदान तथा अन्य धातु खदान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पृथक कल्याणकारी कोष की स्थापना की जाय।

4. वातावरण की रक्षा के नामपर विभिन्न खदानें, बिहार में भगलपुर, मुंगेर, बांका, गोड्डा, रांची बन्द कर दी गयी हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश स्थित शहडोल जिले में अमरकंटक की बाक्साइट की खदाने बन्द करने वाले हैं, जिसमें कुछ हजार कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी खदानों को पुन: चालू करके कर्मचारियों को काम दिया जाय। तथा नियोजकों को इस बात के लिए बाध्य किया जाय कि वे जंगल को बनाए रखें तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लें।

5. गैर कोयला खदानें, जैसे- लोहा, सोना व हीरा आदि का निजीकरण किया जाना लाभदायक न होकर देश के लिए हानिकारक होगा। अत: सरकार से आग्रह है कि वह इनके निजीकरण किए जाने की अपनी घोषणा पर पुन: विचार करे।

## राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों की मांगें:-

1. सरकार स्पष्ट घोषणा करे कि राज्य सड़क परिवहन निगमों का निजीकरण नहीं होगा, ताकि अस्थिरता एवं अनिश्चितता का वायुमडंल समाप्त हो तथा अधिकारी एवं श्रमिक अपना अपना काम आत्मीयता से कर सकें।

2. राज्य सड़क परिवहन उद्योग का संचालन प्रबन्ध, कार्यप्रणाली आदि का वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण हो। निर्धारित पद्धतियों का सभी राज्य सड़क परिवहनों में एक सा कार्यान्वयन हो। सभी राज्य सड़क परिवहनों के कार्य पर देख रेख एवं उन्हें मार्गदर्शन करने हेतु, "केन्द्रीय राज्य परिवहन

प्राधिकरण का निर्माण हो"।

3. निर्धारित कार्य पद्धतियों के निपुण कार्यान्वयन के लिए आई.टी.एस. (इंडियन ट्रांसपोर्ट सर्विस) का गठन तथा इस संवर्ग के व्यक्तियों की ही राज्य परिवहनों में उच्च पदों पर नियुक्ति हो।
4. राज्य सड़क परिवहनों के सभी प्रशासक, प्रबन्धक आदि अधिकारी उनके कार्यों के परिणाम के लिए जिम्मेवार हों।
5. राज्य सड़क परिवहनों के संचालकों के पदों पर सक्रिय राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति पूर्णत: प्रतिबंधित हो तथा इन पदों पर विशेषज्ञों तकनीकी जानकारों, यात्रियों से सही प्रतिनिधियों तथा राज्य सड़क परिवहन श्रमिकों के प्रतिनिधियों की ही नियुक्ति हो।
6. विकास, विस्तार आदि के लिए राज्य सड़क परिवहनों के लिए पर्याप्त धन सरकार द्वारा उपलब्ध हो।
7. राज्य सड़क परिवहनों का एकाधिकार जिन मार्गों पर है, ऐसे मार्गों पर अन्य वाहनों द्वारा यात्रियों की यातायात न हो, इसलिए आवश्यक कड़े प्रबन्ध किए जायें।
8. यात्रियों के अन्यान्य वर्गों को राज्य सड़क परिवहन बस किराये में दी गई छूट की पूरी राशि की क्षतिपूर्ति सरकार करे या राज्य सड़क परिवहन को कर मुक्त दरों पर आयल, डीजल, बैटरी, पुर्जे आदि की पूर्ति हो।
9. यात्रा किराया देकर वैध टिकट प्राप्त करने के पश्चात ही राज्य सड़क परिवहन बस से प्रवास करने का दायित्व यात्रियों पर हो।
10. राज्य सड़क परिवहन से सम्बन्धित सभी कानूनों का परिपालन कड़ाई से हो, तथा उसके लिए पूर्ण प्रभावी व्यवस्था सरकार करे।

## आँगनवाड़ी एवं बालवाड़ी महिला कर्मचारियों की मांगें:

1. आंगनवाड़ी एवं बालवाड़ी महिला कर्मचारियों को जब तक राज्य कर्मचारी नहीं मान लिया जाता तब तक न्यूनतम वेतन दिया जाय।

2. समयबद्ध पदोन्नति का अवसर दिया जाय।
3. प्रत्येक माह समय पर वेतन भुगतान किया जाय।
4. सेवा सुरक्षा की गारन्टी दी जाय।
5. आंगनवाड़ी एवं बालवाड़ी के कार्य संचालन हेतु भवन की व्यवस्था किया जाय।
6. 100/रू० मासिक यात्रा भत्ता दिया जाय।
7. भविष्य निधि कानून में संशोधन कर इन महिला कर्मचारियों को भी भविष्य निधि की सुविधा दी जाय।
8. बोनस की सुविधा से इन्हें भी लाभान्वित किया जाय।
9. आगंनवाड़ी महिला कर्मचारियों का पद नाम बदलकर शिक्षिका किया जाये।

## रेल कर्मचारियों की मांगें:-

1. रेल कर्मचारियों के वेतन और अन्य सेवा शर्ते तय करने के लिए शीघ्र द्विपक्षीय समझौता समिति का गठन किया जाय। जब तक वेतन समझौता नही हो जाता है तब तक अन्तरिम सहायता दी जाय।
2. रेलवे बोर्ड भारतीय रेल मजदूर संघ को मान्यता दी जाय तथा इसके प्रतिनिधि वेतन समझौता समिति में सम्मिलित किए जाय।
3. रेल की कुछ सेवाओं का निजीकरण करके रेल कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। इसे अविलम्ब बन्द किया जाय।
4. रिक्त पदों की पूर्ति रेल कर्मचारियों के लड़कों लड़कियों से की जाय।

## विद्युत कर्मचारियों की मांगें:-

1. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, एवं अन्य प्रदेशों में दो-दो औद्योगिक विवाद अधिनियम हैं। एक ही उद्योग में सेन्ट्रल और राज्य कानून लागू हैं।भ्रम निवारण के लिए आवश्यक है कि केवल केन्द्रीय औद्योगिक विवाद

अधिनियम लागू किया जाय।

2. दूरवर्ती नियंत्रण कार्य त्रुटियों को पता लगाने के लिए ही कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाय न कि वेतन शीट तैयार करने व बिजली के बिल बनाने में इसका प्रयोग किया जाय।
3. वितरण ट्रांसफारमर्स 11के.वी.और एलटी. लाइन्स के निर्माण के लिए जो ठेकेदारी प्रथा अपनाई जाती है उसे बन्द किया जाय और बोर्ड के कर्मचारियों से ही उक्त काम कराया जाय।
4. अध्यक्ष और राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य गैर राजनीतिक होने चाहिए ओर इनकी नियुक्ति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी की सलाह से की जाय।
5. विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का निजीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक निगम बनाया जाय।
6. विद्युत बोर्ड के कार्य का जनतंत्रीकरण करने के लिए उसमें कर्मचारियों, एल.टी. एवं एच.टी. उपभोक्ताओं, छोटे उपभोक्ताओं एवं तंत्रज्ञों को प्रतिनिधित्व दिया जाय।

## बीमा कर्मचारियों की मांगें:-

1. जीवन बीमा निगम कर्मचारियों का वेतन समझौता बहुत दिनों से लम्बित पड़ा है। प्रबन्धकों को वेतन समझौता वार्ता अति शीघ्र शुरू करना चाहिए।
2. कन्ट्रीब्युटरी पेन्शन स्कीम को लागू किए जाने के लिए तत्काल समझौता वार्ता प्रारम्भ की जाय।
3. सीमा बद्धता का विचार न करते हुए सभी बीमा कर्मचारियों को बोनस भुगतान किया जाय।
4. मंहगाई भत्ता एवं वेतनमान के लिए बनी एच.एन.रे. कमेटी को निरस्त किया जाय क्योंकि जांच के दायरे में आने वाली बातें दुर्भवनायुक्त हैं।

## प्रतिरक्षा कम्रचारियों की मांगें:-

1. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को मान्यता दी जाय। जे.सी.एम. के सभी

स्तरों पर प्रतिनिधित्व दिया जाय।

2. प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में उत्पादन का काम बाहर की एजेन्सियों द्वारा करवाया जाना एवं आर्डनेन्स कारखानों, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों का निजीकरण किया जाना बन्द किया जाय।

## पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स की मांगें:-

1. भारतीय पोर्ट डाक मजदूर संघ को वेतन समझौता वार्ता तथा मकान भत्ता निर्धारण के मामले में शामिल किया जाय।

## स्टील कर्मचारियों की मांगें:-

1. भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ को एन.जे.सी.एस. में प्रतिनिधित्व दिया जाय।
2. रा.मैटिरियल डिवीजन पर विशेष ध्यान दिया जाय।
3. इस्पात कारखानों में चोरी न हो इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबन्ध किए जाय।
4. इसके आधुनिकीकरण का काम पूर्णरूप से सेल द्वारा कराया जाय।

## बैंक कर्मचारियों की मांगें:-

1. नेशनल आर्गनाईजेशन आफ बैंक वर्कर्स की यह मांग है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन बिना शर्त एन.ओ.बी.डब्ल्यू. को वार्ता के लिए आमंत्रित करे। साथ ही आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को समझौता वार्ता में सम्मिलित होने का अधिकार दिया जाय।
2. नेशनल आर्गनाईजेशन आफ बैंक आफीसर्स को बैंक, आफीसरों के वेतन समझौता वार्ता में शामिल किया जाय।
3. ग्रामीण बैकों के कार्य को नियंत्रण करने एवं परामर्श देने के लिये नेशनल रूरल बैंक आफ इंडिया की स्थापना की जाय।
4. ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन तृतीय लाभ के रूप में प्रदान की जाय।

5. बिना विचारे किया जाने वाला कम्प्यूटरीकरण बन्द किया जाय।
6. वेतन समझौता वार्ता में विलम्ब हो रहा है अतः सभी बैंक कर्मचारियों को नवम्बर 1992 से अन्तिरिम राहत दी जाय।
7. बैंक का निजीकरण नहीं होना चाहिए और न ही विदेशी बैंक को यहाँ बैंक खोलने की अनुमति देना चाहिए।
8. बैंक के भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध और घुटाले, जो कर्मचारी और अधिकारी उजागर करते हैं, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाय।
9. बैंकिग रेगुलेशन एक्ट की धारा 34 ए (जी) जिसमें गोपनीय एकाउन्ट रखने का प्रावधान है को निकाल दिया जाय।

## कोयला कर्मचारियों की मांगें:-

1. वेतन समझौता वार्ता अविलम्ब शुरू किया जाय।जब तक वेतन समझौता न हो जाय 1000/-रू० प्रतिमाह बतौर अन्तरिम राहत कर्मचारियों को दिया जाय।
2. जे.वी.सी.सी. आई(चार) में जैसा पेंशन स्कीम के बारे में समझौता हुआ है- अविलम्ब लागू किया जाय।
3. सातवें सेफ्टी कानफरेन्स की अनुशंसाओं के अनुसार "आक्पेंशनल हेल्थ एण्ड सेफ्टी डिवीजन" की स्थापना की जाय।
4. स्थाई स्वभाव के काम को ठेकेदारों से न कराया जाय।
5. आर्थिक दृष्टि से कोयला उद्योग की सफलता एवं विकास के लिए गठित दामोदर पाण्डे समिति 1985 की अनुशंसाओं को लागू किया जाय।
6. कोयला खदानों में स्वदेशी मशीनों का आश्यकतानुसार उपयोग किया जाय।
7. जे.वी.सी.सी.आई. का पुनर्गठन सत्यापित सदस्यता के अनुपात में श्रमसंघों को प्रतिनिधित्व देकर किया जाय।

## दूर संचार कर्मचारियों की मांगें:-

1. दूर संचार विभाग की अनुशंसा के अनुसार भारतीय दूर संचार कर्मचारी महासंघ को जे.सी.एम. में प्रतिनिधित्व दिया जाय।
2. मंहगाई भत्ता वेतन के साथ जोड़ दिया जाय।
3. वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन किया जाय।
4. बिना भेदभाव के सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाय।
5. व्यावसायिक कर को समाप्त किया जाय।
6. सभी श्रेणी के कर्मचारियों के कैडरर्स पदों का पुनर्गठन किया जाय।
7. तकनीशियों एवं तकनीकी सुपर वाईजरों का वेतनमान का पुनर्गठन किया जाय।
8. ग्रुप डी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अर्धकुशल का वेतन दिया जाय।
9. प्रशासकीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को ओ.टी.बी.पी. एवं बी.सी.आर. योजनाओं का लाभ दिया गया है। उसके पुनर्गठन योजना पर विचार किया जाय।
10. ए. ओ. एवं ड्राईवरों समेत असाधारण श्रेणियों में कार्यरत ग्रुप डी के अधिकारियों को ओ.टी.बी.पी. एवं बी.सी.आर. योजनाओं का लाभ मिले।
11. अकुशल अर्धकुशल कर्मचारियों को नियमित किया जाय।
12. जो श्रेणियां बच गई हैं उनके कैडर पर पुनर्विचार किया जाय।

## पोस्टल कर्मचारियों की मांगें:-

1. भारतीय पोस्टल इम्प्लाईज यूनियन को जे.सी.एम. में प्रतिनिधित्व दिया जाय।
2. समयबद्ध पदोन्नति और प्रशासकीय कार्यालय भेल मोटर सर्विस, डायरेक्टर आफ एकाउन्टस में कार्यरत जो छूट गई है, इनको बी.सी.आर. का लाभ मिले।

3. सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1 जनवरी 1991 के मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिया जाय।
4. बी.सी.आर. के अन्तर्गत पोस्टमैन तथा उनके समकक्ष कर्मचारियों को उच्च वेतनमान दिया जाय।
5. ई.डी. कर्मचारियों को "ग्रामीण डाक कर्मचारी" नाम से सम्बोणित किया जाय।
6. दैनिक वेतन भोगी मंजदूरों, ई.डी. पार्ट टाइम कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी मानकर उनका नियमितीकरण किया जाय।
7. चलती ट्रेनों में आर.एम.एस. शार्टिंग के कार्य का मशीनीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण न किया जाय।
9. पोस्टल एवं टेलीग्राफ कर्मचारियों को कानूनी बोनस दिया जाय।
10. वेतन पुनरीक्षण समिति/बेजबोर्ड, का गठन क्रिया जाय।
11. पी.ए.बो. में सीनियर एकाउन्टेन्टस को केन्द्रिय सचिवालय का वेतन मान दिया जाय।

## केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारियों की मांगें:-

1. 1 जनवरी 1991 के मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिया जाय।
2. वेतन पुनरीक्षण हेतु स्थाई द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति का गठन किया जाय।
3. सभी सरकारी कर्मचारियों को बोनस बिना वेतन सीमा के दिया जाय।
4. सरकारी कर्मचारियों की संख्या विदेशी शक्तियों के दबाव के कारण 10% कम करने की योजना को रद्द किया जाय।
5. सभी कैडर का पुनर्गठन किया जाय।
6. वेतन विसंगतियों को दूर किया जाय।

## कृषि मजदूरों की मांगें:-

1. गरीब कृषि मजदूर एवं अन्य ग्रामीण मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी जाय।
2. न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण करके लागू किया जाय।
3. जो वनवासी बंधु वनों में वर्षों से बन भूमि को जोते हुए हैं, वहीभूमि उन्हें आवांटित की जाय।

## सीमेंट कम्रचारियों की मांगें:-

1. सीमेन्ट फैक्टरियों में सुरक्षा व्यवस्था का स्तर बढ़ाया जाय।
2. ह्वाइट सीमेन्ट कर्मचारियों को अन्य सीमेन्ट कारखानों के समान वेतन दिया जाय।

## बीड़ी कर्मचारियों की मांगें:-

1. राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाय।
2. ठेकेदारी( सट्टेदारी) प्रथा समाप्त की जाय।
3. बीड़ी उद्योग के कर्मचारियों को पहचान पत्र दिया जाय।
4. घर खाता बीड़ी कर्मचारियों सहित सभी बीड़ी कर्मचारियों को बोनस और भविष्य निधि की सुविधा दी जाय।
5. बीड़ी कर्मचारियों की संख्या उनके द्वारा बनाई गई बीड़ी की संख्या के अनुपात से पता लगाई जाय।
6. बीड़ी एवं सिगार एक्ट 1966 को कड़ाई से लागू किया जाय।
7. बीड़ी कर्मचारियों पर लागू कल्याणकारी योजना में और सुधार किया ज